जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर दिनांक 23.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 05 वाहन शातिर चोरो को चोरी की 02 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.06.2024 को वादी श्री हरीश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम रसूलपुर पिरथी उर्फ आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्तगण 1- विधान पुत्र भोपाल 2- विकास पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल UP20Y-2493 को चोरी किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 555/24 धारा 379 भादवि बनाम विधान व विकास उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही में मुकदमा उपरोक्त में 03 अन्य अभियुक्तगण 1- विकास उर्फ मनी पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम उमरपुर मीरा जमालपुर पठानी थाना को0शहर जनपद बिजनौर 2- आकाश पुत्र लाल सिंह नि0ग्राम मण्डावली सैदू थाना को0शहर बिजनौर 3- उसमान पुत्र लतीफ निवासी ग्राम अमीपुर शुदा उर्फ जन्दरपुर थाना को0शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 555/24 धारा 379 भादवि में वांछित 1- विधान पुत्र भोपाल 2- विकास पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3- विकास उर्फ मनी पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम उमरपुर मीरा जमालपुर पठानी थाना को0शहर जनपद बिजनौर 4- आकाश पुत्र लाल सिंह नि0ग्राम मण्डावली सैदू थाना को0शहर बिजनौर 5- उसमान पुत्र लतीफ निवासी ग्राम अमीपुर शुदा उर्फ जन्दरपुर थाना को0शहर जनपद बिजनौर अभियुक्त को 02 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियोग में धारा 411/420/120बी भादवि की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त विधान व विकास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमने रसूलपुर परथी से मिलकर स्प्लेण्डर बाइक चोरी की थी तथा चोरी की बाइक को अपने दोस्त विकास उर्फ मनी को बेचने के लिए बताया था । विकास ने अपने अन्य जानने वाले बाइक मिस्त्री आकाश को मोटरसाइकिल बेच दी थी और मिले रुपयो को आपस में बांट लिया था। आकाश उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि उसने मोटरसाइकिल को कबाड का काम करने वाले अपने एक अन्य दोस्त उस्मान उपरोक्त को बेच दिया था तथा उस्मान ने चोरी की मोटरसाइकिल के इंजन को दूसरी मोटरसाइकिल में लगा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- विधान पुत्र भोपाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2- विकास पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3- विकास उर्फ मनी पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम जमालपुर पठानी थाना को0शहर जनपद बिजनौर

4- आकाश पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर बिजनौर ।

5- उसमान पुत्र लतीफ निवासी ग्राम अमीपुर शुदा उर्फ जन्दरपुर थाना को0शहर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

1- मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP12G5414 हीरो होन्डा स्पलेण्डर

2- मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP20H1289 हीरो होन्डा स्पलेण्डर रंग

आपराधिक इतिहासः-

1- आपराधिक इतिहास विधान पुत्र भोपाल सिंह उपरोक्त -

मु0अ0सं0 555/2024 धारा 379, 411,420,120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर

2- आपराधिक इतिहास विकास पुत्र कृपाल सिंह उपरोक्त -

मु0अ0सं0 555/2024 धारा 379, 411,420,120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर

3- आपराधिक इतिहास विकास उर्फ मनी पुत्र अशोक कुमार उपरोक्त -

मु0अ0सं0 555/2024 धारा 379, 411,420,120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर

4- आपराधिक इतिहास आकाश पुत्र लाल सिंह उपरोक्त -

मु0अ0सं0 555/2024 धारा 379, 411,420,120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर

5- आपराधिक इतिहास उसमान पुत्र लतीफ उपरोक्त -

मु0अ0सं0 555/2024 धारा 379, 411,420,120बी भादवि थाना को0शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी प्रवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3- आरक्षी रवि कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4- आरक्षी मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 23.06.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 293/24 धारा 326/308/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र कलवा सिंह निवासी मौ0 मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त विक्की पुत्र कलवा सिंह निवासी मौहल्ला मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करते हुए हाथ मे पहने हुए लोहे के कडे से वार कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 293/24 धारा 326/308/323/504/506 भादवि बनाम विक्की उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विक्की पुत्र कलवा सिंह निवासी मौहल्ला मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विक्की पुत्र कलवा सिंह निवासी मौहल्ला मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 137 असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3. का0 1694 पंकज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शेरकोट **दिनांक- 23.06.2024**

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/2024 धारा धारा 376(3)/363/120B भादवि व 5L/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आशिक उर्फ साकिब पुत्र शौकत निवासी ग्राम तीबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर व अभियुक्ता कोमल निवासी ग्राम रामसरायवाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर अभियुक्त आशिक उपरोक्त द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 376(3)/363/120B भादवि व 5L/6 पॉक्सो एक्ट बनाम आशिक आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 131/2024 धारा 376(3)/363/120B भादवि व 5L/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आशिक उर्फ साकिब पुत्र शौकत निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्ता की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आशिक उर्फ साकिब पुत्र शौकत निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी धीरज सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 13 लेखराज थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 1945 विक्रम सिह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर दिनांक – 23.06.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को चोरी की बाइक सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम, चोरी/लूट आदि की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने व इन घटनाओं से संबंधित माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत महमूदपुर रोड पर बाग के पास से अभियुक्तगण आयुष यादव पुत्र निरंजन नि0 ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व आशू कुमार पुत्र समरपाल नि0 ग्राम महमूदपुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी की बाइक रजि0 नं0 DL3SCW 1749 सहित गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त बरामद की गई चोरी की बाइक के संबंध मे दिनांक 22.06.2024 को वादी सीताराम पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी माहू थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 308/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आयुष यादव पुत्र निरंजन नि0 ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.आशू कुमार पुत्र समरपाल नि0 ग्राम महमूदपुर खादर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी की गई बाइक रजि0 नं0 DL3SCW 1749

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 505 मनजीत सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.का0 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 23.06.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 204/23 धारा 420/406 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.12.2023 को थाना हीमपुर दीपा पर अभियुक्त इरशाद पुत्र भूरे कस्बा व थाना डिडौली जनपद अमरोहा के विरूद्ध वादी के पुत्र को विदेश भेजने के नाम पर 02 लाख रूपये हडप लेने तथा बार बार रूपये मांगने पर वापस न देने के संबंध मे मु0अ0सं0 204/23 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इरशाद पुत्र भूरे कस्बा व थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इरशाद पुत्र भूरे कस्बा व थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शेर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2.का0 2344 कुश थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3.का0 2571 सुमित थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात   दिनांक- 23.06.2024

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 103/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.05.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1- गोविन्द उर्फ बिल्ला पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर 2- सुखविन्दर उर्फ सुक्खा पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को दो प्लास्टिक जरीकैन में करीब 80 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा एक प्लास्टिक के थेले में करीब 05 कि0ग्रा0 यूरिया सहित गिरफ्तार किया गया था तथा इनका एक अन्य साथी पवन उर्फ पुन्नी पुत्र काली निवासी ग्राम भूमिदान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर मौका पाकर फरार हो गया था। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि बनाम गोविन्द, सुखविन्दर व पवन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 103/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि में वांछित अभियुक्त पवन उर्फ पुन्नी पुत्र काली निवासी ग्राम प्रेमनगर भूमिदान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों गोविन्द उर्फ बिल्ला पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर व सुखविन्दर उर्फ सुक्खा पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पवन उर्फ पुन्नी पुत्र काली निवासी ग्राम प्रेमनगर भूमिदान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पवन उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 123/14 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 151/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 24/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4. मु0अ0सं0 248/19 धारा 60 (2) आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

5. मु0अ0सं0 25/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

6. मु0अ0सं0 11/21 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

7. मु0 अ0सं0 48/23 धारा 60 (2) आबकारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

8. मु0अ0सं0 170/23 धारा 60 (2) आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।

9. मु0अ0सं0 103/24 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 बब्लू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 23.06.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 244/24 धारा 363/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.05.2024 को वादिनी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शहजाद पुत्र बुन्दु निवासी मौहल्ला अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया तथा इस संबंध में अभियुक्त शहजाद उपरोक्त की माता से पूछने पर अभियुक्त की माता द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच की गई। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 244/24 धारा 363/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शहजाद पुत्र बुन्दु निवासी मौ0 अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद पुत्र बुन्दु निवासी मौहल्ला अहमदखेल कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1728 अजय ठाकुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।